

अनुदान संख्या 96 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 96 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत—
		Total grant or appropriation	Actual expenditure	Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
<i>प्रभारित—</i>	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	4136,09,00		
		4280,23,00	4181,60,06	-98,62,94
पूरक	<i>Supplementary</i>	144,14,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			98,62,92
स्वीकृत—	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	1133,23,00		
		1142,65,00	1081,19,32	-61,45,68
पूरक	<i>Supplementary</i>	9,42,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			61,87,91
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	<i>Voted-</i>	60,00,00	55,00,00	-5,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			5,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (₹9862.94 लाख) जुलाई, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹14414.00 लाख के पूरक विनियोग का 68 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 2 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹ 9862.94 lakhs) constituted 68 percent of the supplementary appropriation of ₹ 14414.00 lakhs obtained in July, 2017 and March, 2018 and 2 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ:—

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---------------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	413509.00			
पू.	S.	14413.00	418160.08	418160.06	-0.02
पु.	R.	-9761.92			

(I) ₹ 101.00 लाख का विनियोग (₹ 1.00 लाख के सांकेतिक पूरक विनियोग सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: जनजातीय शिक्षा" - के अंतर्गत ₹119407.00 लाख के मूल विनियोग को ₹ 14413.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹ 133820.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, राज्य सरकारों से छात्रावासों/आश्रम स्कूलों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹500.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम - जनजातीय संस्थाओं को सहायता" - ₹ 305.00 लाख की बचत (₹ 8500.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Appropriation of ₹ 101.00 lakhs (including token supplementary appropriation of ₹ 1.00 lakh) remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under "Centrally Sponsored Schemes-Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education" - the original appropriation of ₹119407.00 lakhs was augmented to ₹133820.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹14413.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹500.00 lakhs - due to receipt of less proposals from the State Governments towards construction of Hostels/Ashram schools and vocational trainings.

(III) Under "Centrally Sponsored Schemes-Tribal Area Sub-Plan"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions"- saving of ₹ 305.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹ 8500.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/ adequate proposals from some State Governments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बंधु कल्याण योजना” – ₹10095.93 लाख की बचत (₹32001.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान” – के तहत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1138.99 लाख का अधिक व्यय (₹128801.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹6145.68 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹942.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹6187.91 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana”- saving of ₹10095.93 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹32001.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/adequate proposals/utilisation certificates from some State Governments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under “Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution”- excess of ₹1138.99 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹128801.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the State Governments.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹6145.68 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹942.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (₹6187.91 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
------------------------------	--	------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”	
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services	
मू.	O.	1914.00
पू.	S.	452.00
पु.	R.	-154.74
		2211.26

2211.26

2210.58

-0.68

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	33509.00			
पू.	S.	489.00	28224.83	28267.75	+42.92
पु.	R.	-5773.17			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	52600.00			
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-52601.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	25300.00	77641.00	77640.99	-0.01
पु.	R.	52341.00			

(I) ₹52601.00 लाख का प्रावधान चार मामलों मुख्य शीर्ष "2552" - "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" के तहत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹52601.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under Major Head "2552" - "Tribal Area Sub-Plan"-under the following heads:-

(का) "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" - ₹21000.00 लाख;

(A) "Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution"- ₹21000.00 lakhs;

(खा) “जनजातीय संस्थाएं” – ₹300.00 लाख;

(गा) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम: वन बंधु कल्याण योजना” – ₹13001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(घा) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम: जनजातीय शिक्षा” – ₹18300.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा तथा शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण” – के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:—

(का) “निर्देशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग” – ₹1004.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹175.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1179.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹178.22 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रकाशन, किराया के लिए कम दावे प्राप्त होने, कम संविदागत स्टॉफ नियुक्त किए जाने, कम दौरे किए जाने तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजातीय शिक्षा” – ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹60.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹560.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹522.09 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कम कार्यकलाप किए जाने तथा

(B) “Tribal Institutions”- ₹300.00 lakhs;

(C) “Umbrella Scheme for Development of STs: Van Bandhu Kalyan Yojana” - ₹13001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(D) “Umbrella Scheme for Development of STs: Tribal Education” - ₹18300.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes” - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(A) “Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes” - the original provision of ₹1004.00 lakhs was augmented to ₹1179.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹175.00 lakhs. However, there was a saving of ₹178.22 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards publication, rent, engagement of less contractual staff, less tours undertaken and economy measures.

(B) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education”- the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹560.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹60.00 lakhs. However, there was a saving of ₹522.09

जनजातीय क्षेत्रों से छात्रवृत्ति के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

lakhs (including supplementary grant) - due to less activities undertaken and receipt of less proposals towards scholarship from Tribal Areas.

(ख) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बंधु कल्याण योजना” – ₹15705.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹254.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15959.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2832.04 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – वन उत्पाद, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उत्सव एवं अनुसंधान कार्य के तहत कम कार्यकलाप किए जाने के कारण हुई।

(b) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana” - the original provision of ₹15705.00 lakhs was augmented to ₹15959.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹254.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2832.04 lakhs (including supplementary grant) - due to less activities undertaken under Forest produce, Tribal festivals and Research work in Tribal areas.

(III) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – जनजातीय कार्य मंत्रालय” – के अंतर्गत ₹1914.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹452.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2366.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावों की प्राप्ति होने के कारण ₹155.42 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head “2251” - “Secretariat-Ministry of Tribal Affairs” - the original provision of ₹1914.00 lakhs was augmented to ₹2366.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹452.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹155.42 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards medical reimbursement.

(IV) मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – जनजाति क्षेत्र उप योजना – केंद्रीय छात्रवृत्तियां” – के अंतर्गत ₹2028.25 लाख की बचत (₹12100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनजातीय क्षेत्रों से छात्रवृत्ति के लिए कम नामांकन प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes- Tribal Area Sub-Plan - Central Scholarships” - saving of ₹2028.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs) was due to receipt of less nominations for scholarship from Tribal Areas.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹69.65 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹69.65 lakhs occurred constituting 35 percent of the sanctioned provision.

4. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम: विशेष केंद्रीय

4. (I) The above savings were partly (₹10000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored

सहायता” — के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9999.99 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:—

(का) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें — जनजातीय क्षेत्र उप योजना” —

(क) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: जनजातीय संस्थाओं को सहायता” — ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ख) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: जनजाति शिक्षा” — ₹18541.00 लाख का अधिक व्यय (₹25300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: वन बंधु कल्याण योजना” — ₹2500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान — जनजातीय क्षेत्र उप-योजना — अनुसूचित जनजातियों का कल्याण — संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान” — ₹21000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:—

Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance”. Actual excess, however, was ₹9999.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - under the following heads:-

(A) “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions” - excess of ₹300.00 lakhs (against nil provision);

(b) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education” - excess of ₹18541.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25300.00 lakhs);

(c) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana” - excess of ₹2500.00 lakhs (against nil provision); and

(B) “Other Transfer/Grants to States-Tribal Area Sub - Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution” - excess of ₹21000.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	6000.00	5500.00	5500.00	..
पु.	R.	- 500.00			

(I) "सामान्य - जनजाति क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजातीय संस्थाओं को सहायता" - के अंतर्गत ₹500.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "General- Tribal Area Sub-Plan- Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions" - saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Scheduled Tribe Finance and Development Corporations.